

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क रीडर/2025/ 3715

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 10.12.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 कौशलाराम पुत्र
गोधनराम जाति जाट
निवासी रामपुरा गरल
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 देवाराम 2 नवलाराम 3 राऊराम 3/1 सोनाराम पिसरान उगाराम 4
कंवराराम पुत्र सताराम 5 जमना पत्नि सताराम 7 गोगी पुत्री सताराम 8
चिमाराम 9 पेमाराम पिसरान दुर्गाराम 10 सामाराम पुत्र नानगाराम 11
हेराजराम पुत्र मेहाराम 12 गुलाराम 13 मगाराम पिसरान खेमाराम 14
भिरगो पत्नि खेमाराम 15 देवाराम 16 रामाराम पिसरान हीराराम 17 सारो
पत्नि हीराराम जाति जाट, निवासी रामपुरा गरल 18 चुनाराम पुत्र
धर्माराम 19 सुजी पत्नि हेमाराम 20 हुकमाराम पुत्र मेहाराम 21 जूंजाराम
22 जेताराम पिसरान बागाराम 23 धापू पत्नि मेहाराम 24 पाबूराम पुत्र
मेहाराम 25 भंवरी पत्नि बागाराम 26 मूलाराम पुत्र मेहाराम 27 मोटाराम
पुत्र उम्मेदाराम 28 लाभूराम पुत्र धर्माराम जाति जाट, निवासी गरल
तहसील व जिला बाड़मेर 28 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-335/2025

दिनांक- 01/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामपुरगर लपटवार हल्का गरल तहसील व जिला बाड़मेर के खेत
खसरा संख्या 47 रकबा 13.0794 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक बाड़मेर

10.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 3716 - 19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी दुदाबेरी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी कौशलाराम पुत्र गोधनराम जाति जाट निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण देवाराम पुत्र उगाराम वगैराह जाति जाट, निवासी रामपुरा गरल तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर